एम/एस. डीएसआर स्टील (पी) लिमिटेड

बनाम

राजस्थान राज्य और अन्य. (2007 की सिविल अपील संख्या 3814 आदि)

1 मई, 2012

[टी. एस.ठाकुर और ज्ञान सुधा मिश्रा, जेजे.]

विद्युत अधिनियम, 2003 -धारा 125 -के तहत अपील -की पोषणीयता - निर्धारित धारा 125 के तहत अपील केवल धारा 100 सी पी सी के अंतर्गत निर्दिष्ट आधारों पर ही सी. कायम रखने योग्य है। - यह तभी कायम रखने योग्य है जब मामले में कानून का महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हो - नीचे की अदालतों द्वारा दर्ज किए गए तथ्यों के समवर्ती निष्कर्षों को धारा 125 के तहत अपील में दोबारा नहीं खोला जा सकता है। - तथ्यों पर, कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न विचार के लिए नहीं उठा - नीचे दिए गए न्यायालयों के निष्कर्षों में कोई डी. विकृति नहीं पाई गई -सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 -धारा 100.

`परिसीमा - परिसीमा की गणना - मूल आदेश और पुनर्विलोकन याचिका को खारिज करने वाला आदेश क्या दोनों आदेशों का विलय हो गया है और क्या परिसीमा की गणना पुनर्विलोकन याचिका में निर्णय/आदेश की तारीख से की जाएगी न कि मूल आदेश से -

ई. निर्धारित : जहां पुनर्विलोकन याचिका खारिज कर दी जाती है, विलय का कोई सवाल ही नहीं है -

परिसीमा की गणना मूल आदेश की तिथि से की जाएगी - विलय का सिद्धांत।

वितरण कंपनियों ने 1.12.2004 से प्रभावी होने वाले संशोधित टैरिफ एफ. **के लिए राज्य विद्युत नियामक आयोग के समक्ष आवेदन दायर किए। आयोग ने निर्देश दिया कि उसके द्वारा निर्धारित संशोधित टैरिफ 1.1.2005 से प्रभावी हो जाएगा और आयोग द्वारा अलग से आदेश में संशोधन किए जाने तक प्रभावी रहेगा।** जी. **अपीलकर्ताओं और अन्य उपभोक्ताओं ने आयोग के आदेश की समीक्षा करने और प्रोत्साहन योजना को जारी रखने की मांग करते हुए पुनर्विलोकन याचिकाएं दायर कीं। उन्होंने दलील दी कि योजना को वापस लेने से वचन-विबंधन के सिद्धांत का उल्लंघन हुआ है।**

आयोग ने पुनर्विलोकन याचिकाओं को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि प्रोत्साहन योजना की वैधता सीमित थी यानी 31.3.2003 तक या जब तक आयोग ने टैरिफ आदेश जारी नहीं किया, और इस प्रकार इसकी वापसी से वचन विबंधन के सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं हुआ। आदेश के खिलाफ अपील बिजली के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा खारिज कर दी गई थी। इसलिए तत्काल अपीलें दायर की गईं।

न्यायालय ने अपीलें खारिज करते निर्धारित किया

1.1 अपीलें खारिज किये जाने योग्य हैं क्योंकि विचार के लिए कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। धारा 125 विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत एक अपील केवल धारा 100 सीपीसी में निर्दिष्ट आधार पर सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष पोषणीय है। धारा 100 सी.पी.सी. बदले में अपील दायर करने की अनुमति केवल तभी देती हैं है जब मामले में कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हो। नीचे कि अदालतों द्वारा दर्ज तथ्य के निष्कर्ष, जो वर्तमान मामले में, विनियामक आयोग को प्रथम दृष्टया अदालत के रूप में और अपीलीय न्यायाधिकरण को पहली अपील की सुनवाई करने वाली अदालत के रूप में दर्शाते हैं, किसी अपील में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दोबारा विद्युत अधिनियम,

2003 की धारा 125 कि अपील मे नहीं खोले जा सकते हैं। जिस तरह उच्च न्यायालय धारा 100 सीपीसी के तहत द्वितीय अपील में नीचे की अदालतों द्वारा दर्ज किए गए तथ्य के समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है उसी प्रकार उच्चतम न्यायालय भी नियामक आयोग और अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज किए गए तथ्य के समवर्ती निष्कर्षों के लिए किसी भी चुनौती पर विचार करने के लिए अनिच्छुक होगा। [पैरा 7] [592-डी-जी]

गोविंदराजू बनाम मरियम्मन **एआईआर 2005 एससी 1008: 2005 (1)** जी. **एससीआर 1100;** हरि सिंह बनाम कन्हैया लाल **एआईआर 1999 एससी 3325:1999 (2) पूरक एससीआर 216;** रामास्वामी कलिंगरयार बनाम मथायनपडयाची **एआईआर 1992 एससी 115;** केहर सिंह बनाम यशपाल और अन्य.**एआईआर 1990 एससी 2212;** बिस्मिल्लाह बेगम (श्रीमती) (मृत) विधिक एच.प्रतिनिधि द्वारा बनाम रहमतुल्ला खान (मृत) विधिक प्रतिनिधि द्वारा। **एआईआर 1998 एससी 970: 1998 (1) एससीआर 284 -पर निर्भर।**

1.2 नियामक आयोग ने इस तथ्य का स्पष्ट निष्कर्ष दर्ज किया है कि पुरानी प्रोत्साहन योजना केवल 31 मार्च, 2007 तक या आयोग द्वारा टैरिफ आदेश जारी करने तक, जो भी पहले हो, तक सीमित थी। इसने एक निष्कर्ष यह भी दर्ज किया कि टैरिफ में संशोधन पर विचार करते समय एक नई प्रोत्साहन योजना शुरू करने के प्रस्तावों पर विचार किया और उसे मंजूरी दे दी, जिससे मौजूदा योजना को प्रभावी ढंग से समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर एक नई योजना शुरू की गई। आयोग ने इस तर्क को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था कि अपीलकर्ता कंपनियों ने अतिरिक्त निवेश करके अपने नुकसान के लिए अपनी स्थिति बदल दी थी या उनसे कोई विशेष प्रतिनिधित्व या वादा किया गया था कि पुरानी योजना अनिवार्य रूप से 31 मार्च, 2007 तक जारी रहेगी। जिस सामग्री को अपीलकर्ताओं ने समीक्षा चरण में देर से

पेश करने की मांग की थी, उसे भी आयोग द्वारा अस्वीकार डी. **कर दिया गया था। टैरिफ को संशोधित करने के अपने आदेश में, आयोग ने प्रोत्साहन योजना से संबंधित प्रश्न का निपटारा किया था। ट्रिब्यूनल ने आयोग द्वारा उठाए गए उपरोक्त दृष्टिकोण से सहमति व्यक्त की और वचन विबंधन के सिद्धांत के आधार पर विवाद को खारिज कर दिया। इस प्रकार, उन निष्कर्षों में से किसी में भी कोई विकृति नहीं है और न ही त्वरित अपील की तथ्यात्मक स्थिति में कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है। अपीलें गुण-दोष के आधार पर खारिज की जाती हैं। [पैरा 8 और 9] [593-ए-डी; 595-सी-ई]**

मेसर्स मोतीलाल पदमपत शुगर मिल्स कंपनी लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य। **(1979) 2 एससीसी 409: 1979 (2) एससीआर 641;** कासिंका ट्रेडिंग और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य **(1995) 1 एससीसी 274: 1994 (4) सप्ल.एससीआर 448:** श्रीजी सेल्स कॉर्पोरेशन और अन्य बनाम भारत संघ **(1997) 3** जी. **एससीसी 398: 1996 (10) पूरक एससीआर 888;** भारत संघ और अन्य बनाम गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड **(1985) 4 एससीसी 369: 1985 (3) सप्ल. एससीआर 123 - संदर्भित।**

2 यह कहना सही नहीं है कि पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्रों मे परिसीमा अवधि की गणना केवल आदेश पारित होने की तारीख से ही की जा सकती है.

अपील में ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेश उस आदेश के साथ विलय हो गया जिसके द्वारा ट्रिब्यूनल ने उक्त आदेश की समीक्षा के लिए एक आवेदन खारिज कर दिया है। किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण के समक्ष दायर पुनर्विलोकन याचिकाओं के संबंध में विभिन्न स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। जहां पुनर्विलोकन आवेदन स्वीकार किया जाता है, ऐसी स्थिति में केवल बाद की डिक्री अपील योग्य है, इसलिए नहीं कि यह पुनर्विलोकन में एक आदेश है, बल्कि इसलिए कि यह एक डिक्री है जो उसी कार्यवाही में पारित पहले डिक्री के बाद कार्यवाही में पारित की जाती है जो पुनर्विलोकन याचिका पर सुनवाई कर रही न्यायलय द्वारा खाली किया सी.**गया है. जहां एक न्यायालय या न्यायाधिकरण एक पुनर्विलोकन याचिका में एक आदेश देता है जिसके द्वारा पुनर्विलोकन याचिका की अनुमति दी जाती है और समीक्षाधीन डिक्री/आदेश को उलट दिया जाता है या संशोधित कर दिया जाता है, तो इस प्रकार उलट दी गयी या संशोधित डिक्री कानून के तहत कायम रखने योग्य,आगे और अपील के प्रयोजनों के लिए, यदि कोई हो, प्रभावी होती है। जहां याचिका ट्रिब्यूनल के समक्ष दायर की जाती है लेकिन ट्रिब्यूनल पहले दिए गए डिक्री या आदेश में**

हस्तक्षेप करने से इंकार कर देता है और समीक्षा याचिका को खारिज कर देता है, ऐसे मामले में डिक्री को कोई नुकसान नहीं होता हैऔर न ही

कोई परिवर्तन या संशोधन। यह एक ऐसा आदेश है जिसके द्वारा समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया जाता है जिससे डिक्री या आदेश की पुष्टि हो जाती है। ऐसी आकस्मिक स्थिति में किसी भी विलय का कोई सवाल ही नहीं है और ट्रिब्यूनल या अदालत के डिक्री या आदेश से व्यथित किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा निर्धारित समय के भीतर मूल डिक्री को चुनौती देनी होगी, न कि समीक्षा याचिका को खारिज करने वाले आदेश को। उचित मामलों में समीक्षा के माध्यम से उपाय करने में किसी पक्ष द्वारा लिया गया समय अपील दायर करने में देरी को माफ करते समय विचार से बाहर रखा जा सकता है, लेकिन इस तरह के बहिष्करण या जी. **माफी का मतलब यह नहीं होगा कि मूल डिक्री और समीक्षा याचिका खारिज करने वाले आदेश का विलय हो गया है। [पैरा 12, 13 और 14] [596-जी-एच; 597-ए-एच; 598-ए-बी]**

मनोहर पुत्र शंकर नाले और अन्य बनाम जयपालसिंह पुत्र एच शिवलालसिंह एच. राजपूत **(2008) 1 एससीसी 520: 2007 (12) एससीआर 364;**

सुशील कुमार सेन बनाम बिहार राज्य **(1975) 1 एससीसी 774:1975 (3)एससीआर** ए. **942;** कुन्हवम्मद और अन्य बनाम केरल राज्य और

अन्य **(2000) 6 एससीसी 359: 2000 (1) पूरक एससीआर 538 - पर निर्भर।**

केस कानून संदर्भ:

1979 (2) एससीआर 641- निर्दिष्ट पैरा 5 बी.

1994 (4) पूरक एससीआर 448 निर्दिष्ट पैरा 5

1996 (10) पूरकएससीआर 888 निर्दिष्ट पैरा 5

1985 (3) पूरक एससीआर 123 निर्दिष्ट पैरा 5 सी.

2005 (1) एससीआर 1100 पर भरोसा पैरा 7

1999 (2) सप्ल. एससीआर 216 पर भरोसा पैरा 7

एआईआर 1992 एससी 115 पर भरोसा पैरा 7

एआईआर 1990 एससी 2212 पर भरोसा पैरा 7

डी.**1998 (1) एससीआर 284 पर भरोसा पैरा 7**

2010 (4) एससीआर 680 निर्दिष्ट पैरा 11

2007 (12) एससीआर 364 पर भरोसा पैरा 15 ई.

1975 (3) एससीआर 942 पर भरोसा पैरा 15

2000 (1) पूरकएससीआर 538 पर भरोसा पैरा 15

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या. 3814/2007

2006 की अपील संख्या 226 में विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के निर्णय और आदेश दिनांक 23.11.2006 से।साथ

सी.ए. 2007 की संख्या 4393 और 4396।

पारस कुहाड़, आर.के. अग्रवाल, अतुल झा, संदीप झा, पी.वी. योगेश्वरन, पीएन भंडारी, एच. हेमंत शर्मा, बीजू मट्टम, जितिन

चतुर्वेदी, इंदु शर्मा, अभिषेक गुप्ता, मिलिंद कुमार, अजय चौधरी, मनीष कुमार शर्मा उपस्थित पक्षों के लिए ।

न्यायालय का आदेश सुनाया गया

1. बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 125 के तहत ये अपीलें जिसमे अपीलकर्ताओं द्वारा दायर की गई अपीलों का एक समूह शामिल है, बिजली के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा पारित 23 नवंबर, 2006 के एक आदेश की शुद्धता पर सवाल उठाती हैं, जिसके तहत राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग द्वारा पारित जून के एक आदेश के को खारिज कर दिया गया है।

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (संक्षेप में 'जेवीवीएनएल', जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (संक्षेप में 'जेडीवीवीएनएल') और अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (संक्षेप में 'एवीवीएनएल'), ने राजस्थान विद्युत नियामक आयोग (संक्षेप में 'आयोग') के समक्ष अलग-अलग आवेदन 1 दिसंबर 2004 से प्रभावी होने वाले टैरिफ के संशोधन के

लिए विद्युत अधिनियम, 2003 कीधारा 62 और 64 के सन्दर्भ मे प्रस्तुत किये इनमें से प्रत्येक वितरण कंपनी ('डिस्कॉम' संक्षेप में) के पास मौजूदा टैरिफ था,लेकिन अपने संबंधित आवेदनों में उन्होंने एक समान टैरिफ संशोधन की मांग की थी, ई. जिसके अनुरोधों पर आयोग ने एक साथ विचार किया और 17 दिसंबर,2004 के एक सामान्य आदेश के अनुसार निपटान किया जो उक्त आवेदन के संबंध में राजस्थान राज्य में प्रसारित होने वाले विभिन्न समाचार पत्रों में नोटिस के बाद पारित किया गया आयोग के समक्ष कार्यवाही के दौरान लगभग 100 व्यक्तियों और संगठनों द्वारा कई आपत्तियां दर्ज की गईं और सुझाव दिए गए। इन सभी आपत्तियों पर आयोग द्वारा विचार किया गया, भले ही उनमें से केवल 38 ने ही इसे दायर किया था और पूर्व द्वारा निर्धारित आवश्यकता का अनुपालन किया था। बड़ी संख्या में लोगों और संगठनों ने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए भी आवेदन किया और इस उद्देश्य के लिए निर्धारित विभिन्न स्थानों पर जी. अलग-अलग तारीखों पर सुनवाई की गई। इनमें से कुछ आपत्तियां उपभोक्ताओं की व्यक्तिगत समस्याओं से या बिलों और अन्य मामलों से संबंधित थी जिन्हे डिस्कॉम द्वारा विचार करने और संबंधित व्यक्तियों को सूचित करते हुए निर्णय लेने का निर्देश दिया एच. गया था।

याचिकाओं की पोषणीयता पर सवाल उठाने और आयोग के नियमों और निर्देशों का अनुपालन न करने का आरोप लगाने सहित अन्य मुद्दे भी उठाए

गए। बिजली क्षेत्र में सुधार, राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम जिससे डिस्कॉम बिजली खरीदती है, उसका टैरिफ निर्धारित न होना, विद्युत वितरण निगमों का खराब प्रदर्शन जैसे मुद्दों पर भी हंगामा हुआ। इसी प्रकार टैरिफ, ब्याज शुल्क, मूल्यह्रास आदि में प्रस्तावित वृद्धि पर भी आपत्तियाँ उठाई गईं और आयोग द्वारा उनकी जांच की गई। सुधार के संबंध में सुझाव, उच्च टी एंड डी घाटे से संबंधित आपत्तियां, कर्मचारियों की अपर्याप्तता, बिना मीटर वाली आपूर्ति जारी रखने, डीम्ड लाइसेंसधारी को जारी करने और डीम्ड लाइसेंसधारी के लिए टैरिफ की भी जांच की गई। उच्च वोल्टेज आपूर्ति से संबंधित प्रश्न. मिश्रित भार का पृथक्करण, बिलिंग मांग, एमआईपी उपभोक्ताओं के लिए मांग आधारित टैरिफ, पावर फैक्टर और शंट कैपेसिटर अधिभार, उपभोक्ताओं की सतर्कता जांच, न्यूनतम बिलिंग, कृषि, घरेलू और औद्योगिक टैरिफ की भी आयोग द्वारा जांच की गई, इसके अलावा कई अन्य मुद्दे भी आयोग के समक्ष रखे गए ,जिसे आयोग ने अपने आदेश दिनांक 8 जून, 2006 में संदर्भित किया है। आयोग ने अंततः निर्देश दिया कि उनके द्वारा निर्धारित संशोधित टैरिफ 1 जनवरी, 2005 से प्रभावी होगा और तब तक लागू रहेगा जब तक कि इसमें आयोग द्वारा एक अलग आदेश पारित कर संशोधन नहीं किया जाता है।

3. आयोग द्वारा पारित आदेश से व्यथित होकर, अपीलकर्ताओं और उस श्रेणी के अन्य उपभोक्ताओं की एक बड़ी संख्या ने बिजली अधिनियम,

2003 की धारा 94 (1) के तहत समीक्षा याचिका दायर की और प्रोत्साहन योजना की समीक्षा और जारी रखने की मांग की। इन समीक्षा याचिकाओं को आयोग ने अपने आदेश दिनांक 8 जून, 2006 के संदर्भ में खारिज कर दिया था। आयोग ने याचिकाकर्ताओं की ओर से आग्रह की गई दलील पर ध्यान दिया कि वे प्रोत्साहन योजना की वापसी से प्रभावित थे। यह भी आग्रह किया गया कि इन उपभोक्ताओं ने प्रोत्साहन योजना के आधार पर निवेश किया था।

यह विश्वास करते हुए कि कम से कम तीन साल तक ऐसा ही जारी रहेगा। इसलिए, समीक्षा याचिकाकर्ताओं ने आयोग के 17 दिसंबर, 2004 के आदेश की उपयुक्त समीक्षा करके उक्त योजना को जारी रखने की मांग की। आयोग ने उक्त प्रार्थना और तर्क के लिए बी. डिस्कॉम के विरोध पर भी ध्यान दिया कि प्रोत्साहन योजना प्रभावी 31 मार्च तक. 2003 तक या आयोग द्वारा टैरिफ आदेश जारी होने तक, जो भी पहले हो, प्रभावित होनी थी।

4. आयोग ने डिस्कॉम की ओर से की गई दलीलों पर गौर किया कि टैरिफ याचिकाएं अगस्त 2004 में दायर की गई थीं और प्रोत्साहन योजना सहित योजना का विवरण समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया था, जिस पर सार्वजनिक सुनवाई के दौरान विचार-विमर्श किया गया था और 17 दिसंबर, 2004 को आयोग के टैरिफ आदेश में डी. निपटाया

गया। डिस्कॉम की ओर से यह भी तर्क दिया गया कि संशोधित प्रोत्साहन योजना किसी भी कानूनी दोष से मुक्त थी।

5. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार करने से आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उसके 17 दिसंबर, 2004 के आदेश ने प्रोत्साहन योजना की निरंतरता के संबंध में याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए प्रश्न की जांच की थी और पाया कि योजना की सीमित वैधता थी और इसे वापस ले लिया जाने से वचन विबंधन के सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं हुआ था । यह भी माना गया कि योजना में संशोधन सार्वजनिक सूचना के बिना नहीं एफ. किया गया था और पुरानी प्रोत्साहन योजना को बंद करने का व्यापक प्रचार किया गया था, जिसके अनुसार बड़े उद्योगों और संघों की पुरानी योजना के स्थान पर नई योजना की शुरूआत की बात सुनी गई थी। आयोग ने यह भी माना कि वचन विबंधन कि प्रयोज्यता का प्रश्न टैरिफ याचिकाओं की सुनवाई में आयोग के समक्ष उठाया गया था और मंच की समीक्षा में उक्त याचिका के समर्थन में पेश की जाने वाली सामग्री पर विचार नहीं किया जा सका। तदनुसार, आयोग ने निष्कर्ष निकाला कि उसके द्वारा पारित आदेश में रिकॉर्ड के अनुसार कोई गलती या त्रुटि स्पष्ट नहीं थी, जिसकी समीक्षा की आवश्यकता है।

आयोग ने इसके समर्थन में वचन विबंधन के प्रश्न पर इस न्यायालय के कई निर्णय वर्णित किये।

मेसर्स मोतीलाल पदमपत शुगर मिल्स कंपनी लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य ए. (1979) 2 एससीसी 409, कासिंका ट्रेडिंग और अन्य बनाम भारत संघ अन्य. (1995) 1 एससीसी 274, श्रीजी सेल्स कॉर्पोरेशन और अन्य बनाम भारत संघ (1997) 3 एससीसी 398, भारत संघ और अन्य बनाम गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड (1985) 4 एससीसी बी. 369 सहित ।

6. आयोग द्वारा पारित दिनांक 17 दिसंबर, 2004 और 8 जून, 2006 के आदेशों से व्यथित होकर, अपीलकर्ताओं और कुछ अन्य ने विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष 2006 की अपील संख्या 180-197 और 2006 की अपील संख्या 226 दायर सी. की। जो कि जैसा कि ऊपर देखा गया था, इन अपीलों में दिए गए आदेश द्वारा ट्रिब्यूनल ने खारिज कर दिया गया था। ट्रिब्यूनल ने कहा कि आयोग द्वारा जारी टैरिफ आदेश के संशोधन को लेकर उसके समक्ष कोई चुनौती नहीं थी। यह भी पाया गया कि नियामक आयोग सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XLVII के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 94(1) डी (एफ) के संदर्भ में समीक्षा की अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता है और यह एक आदेश की समीक्षा कर सकता है, बशर्ते ऐसी किसी भी समीक्षा के लिए तैयार किया गया कोई मामला हो। ट्रिब्यूनल ने अपीलकर्ताओं की ओर से आग्रह की गई इस दलील को खारिज कर दिया कि प्रॉमिसरी एस्टोपेल का सिद्धांत मामले के तथ्यों में शामिल था।

आयोग ने इस विचार से सहमति व्यक्त की कि प्रोत्साहन योजना केवल 31 मार्च, 2007 तक या आयोग द्वारा टैरिफ आदेश जारी करने तक, जो भी पहले हो, लागू थी। ट्रिब्यूनल ने कहा:

"जैसा कि पवन अलॉयज एंड कास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड. मेरठ बनाम यूपी राज्य एफ. विद्युत बोर्ड और अन्य, (1997) 7 सुप्रीम कोर्ट केस 251 में माना गया है, इस मामले में, किसी भी नए उद्योग के लिए कोई वादा नहीं किया गया था और न ही बड़े पैमाने पर फंड के निवेश के लिए निमंत्रण दिया गया था लेकिन इसमें केवल एक शर्त लगाई गई कि मौजूदा उद्योग योजना में शर्तों के अधीन प्रोत्साहन का लाभ उठा सकते हैं और इससे अधिक कुछ नहीं। टैरिफ निर्धारण विद्युत अधिनियम 2003 के संदर्भ में एक वैधानिक कार्य है और टैरिफ बड़े पैमाने पर उपभोक्ता जनता के व्यापक हित में तय किया जाना है.

यह स्थिति और जब टैरिफ योजना में, यह विशेष रूप से प्रदान किया गया है कि योजना 31.03.2007 को समाप्त हो जाएगी या जब नियामक आयोग वितरण टैरिफ निर्धारित करेगा, जो भी पहले हो। इसका केवल यही अर्थ है कि यह ज्ञात नहीं है कि अपीलकर्ता उक्त तर्क को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं कि योजना को कोई अन्य अर्थ दिया जाना अस्वीकार्य है। योजना में शामिल किया गया यह वाक्य अपीलकर्ताओं के दावे के लिए घातक है और अपीलकर्ताओं द्वारा लागू की गई कोई भी मिसाल उनके

बचाव में नहीं आएगी। हालाँकि, इस बिंदु का उत्तर देना पर्याप्त होगा, क्योंकि अपीलकर्ताओं ने सभी तर्कों पर निर्णय के लिए दबाव डाला।

7. हमने पक्षों के विद्वान वकीलों को काफी विस्तार से सुना है। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 125 के तहत एक अपील केवल सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100 में निर्दिष्ट आधारों पर इस न्यायालय के समक्ष विचारणीय है। सी.पी.सी. की धारा 100 बदले में अपील दायर करने की अनुमति केवल तभी दी जाती है जब मामले में कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हो। नीचे दिए गए न्यायालयों द्वारा दर्ज किए गए तथ्य के निष्कर्ष, जो वर्तमान मामले में, विनियामक आयोग को प्रथम दृष्टया कोर्ट के रूप में और ई. अपीलीय न्यायाधिकरण को पहली अपील की सुनवाई करने वाले न्यायालय के रूप में दर्शाते हैं, किसी अपील में इस न्यायालय के समक्ष विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 125 के अंतर्गत दोबारा नहीं खोले जा सकते हैं। जिस प्रकार उच्च न्यायालय सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100 के तहत दूसरी अपील में नीचे के न्यायालयों द्वारा दर्ज किए गए तथ्य के मामले में समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता हैं, इसलिए यह न्यायालय भी नियामक आयोग और अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज किए गए तथ्य के समवर्ती निष्कर्षों के लिए किसी भी चुनौती पर विचार करने के लिए तैयार नहीं होगा। इस मुद्दे पर इस न्यायालय के निर्णय असंख्य हैं। सन्दर्भ गोविंदराजू बनाम मरियम्मन (एआईआर 2005 SC 1008), हरी सिंह बनाम कन्हैया

लाल (AIR 1999 जी. SC 3325), रामास्वामी कलिंगरयार बनाम मथायन पदयाची (एआई आर 1992 एससी 115), केहर सिंह बनाम यश पाल और अन्य (एआईआर 1990 एससी 2212), बिस्मिल्लाह बेगम (श्रीमती) (मृत) एलआर द्वारा बनाम रहमतुल्ला खान (मृत) एलआर एच. द्वारा (एआईआर 1998 एससी 970) तथापि, पर्याप्त होने चाहिए।

8. नियामक आयोग ने इस मामले में इस तथ्य का स्पष्ट निष्कर्ष दर्ज किया है कि पुरानी प्रोत्साहन योजना केवल 31 मार्च, 2007 तक या आयोग द्वारा टैरिफ आदेश जारी करने तक, जो भी पहले हो, तक सीमित थी। इसने एक निष्कर्ष यह भी दर्ज किया है कि टैरिफ में संशोधन पर विचार करते समय एक नई प्रोत्साहन योजना शुरू करने के प्रस्तावों पर विचार किया और उसे मंजूरी दे दी, जिससे मौजूदा योजना को प्रभावी ढंग से समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर एक नई योजना शुरू की गई। आयोग ने इस तर्क को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था कि अपीलकर्ता कंपनियों ने अतिरिक्त निवेश करके अपने नुकसान के लिए अपनी स्थिति बदल दी थी या उनसे कोई विशिष्ट प्रतिनिधित्व या वादा किया गया था कि पुरानी योजना अनिवार्य रूप से 31 मार्च, 2007 तक जारी रहेगी जिस सामग्री को अपीलकर्ताओं ने समीक्षा चरण में देर से पेश करने की मांग की थी, उसे भी आयोग द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। 17 दिसंबर, 2004 के अपने आदेश में टैरिफ को संशोधित करते हुए

आयोग ने प्रोत्साहन योजना से संबंधित प्रश्न को निम्नलिखित शब्दों में निपटाया था:

"70. निगमों द्वारा औद्योगिक खपत में गिरावट को रोकने के लिए एक स्टॉपगैप व्यवस्था के रूप में प्रोत्साहन योजना प्रस्तावित की गई थी। आयोग ने प्रोत्साहन योजना के विस्तार को अपनी मंजूरी देते हुए स्पष्ट रूप से निर्धारित किया कि यह 31.3.07 या टैरिफ में संशोधन तक वैध होगी जो भी पहले हो। योजना की वैधता सीमित थी और इसलिए, वचन विबंध के सिद्धांत को लागू नहीं किया गया था। आयोग ने टैरिफ संशोधन के समय प्रोत्साहन योजना की समीक्षा की परिकल्पना एफ. की थी, क्योंकि कार्यवाही से जनता को अपनी बात प्रोत्साहन योजना या टैरिफ में उचित परिवर्तन सक्षम करने के लिए व्यक्त करने का अवसर मिलता।

71. याचिकाकर्ताओं के प्रस्ताव और हमारे समक्ष व्यक्त विचारों पर विचार करने के जी. बाद, आयोग का मानना है कि इस स्तर पर किसी अलग योजना की आवश्यकता नहीं है। बड़े औद्योगिक बिजली (एलआईपी) उपभोक्ताओं द्वारा बिजली की खपत को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने की आवश्यकता को टैरिफ द्वारा ही ध्यान में रखा जाना चाहिए।

एक प्रोत्साहन जो बेहतर लोड फैक्टर को प्रोत्साहित करता है वह उद्देश्य पूरा करेगा। परिणामस्वरूप अनुबंध मांग के प्रति केवीए खपत से

जुड़ी एक प्रोत्साहन योजना प्रस्तावित है। तदनुसार हम निर्देश देते हैं कि प्रोत्साहन रेलवे और सार्वजनिक जल कार्यों सहित सभी एलआईपी उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध होगा, और प्रोत्साहन के लिए पात्रता इस प्रकार होगी:

(I) चालू वित्तीय वर्ष के लिए उपभोक्ता की वार्षिक खपत पिछले वित्तीय वर्ष की वार्षिक खपत से कम नहीं होगी।

(ii) नए एलआईपी उपभोक्ताओं और मौजूदा एलआईपी उपभोक्ताओं के संबंध में जो अपनी अनुबंध मांग को कम करते हैं, प्रोत्साहन नए कनेक्शन की तारीख या अनुबंध मांग में कमी की तारीख से छह महीने के बाद की तिमाही से स्वीकार्य होगा, जैसा भी मामला हो।

(iii) उपभोक्ता पर कोई बकाया नहीं होना चाहिए।

72. पात्र उपभोक्ताओं को त्रैमासिक आधार पर अंतरिम रूप से प्रोत्साहन की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि तिमाही के दौरान खपत पिछले वर्ष के दौरान इसी तिमाही के दौरान उसकी खपत से कम न हो। इस प्रकार स्वीकृत प्रोत्साहन वर्ष-दर-वर्ष आधार पर वर्ष के अंत में अंतिम मूल्यांकन के अधीन होगा। यदि किसी उपभोक्ता की किसी तिमाही में खपत पिछले वर्ष की इसी तिमाही की तुलना में कम है, लेकिन वार्षिक

खपत पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है, तो वह पूरे वर्ष के लिए प्रोत्साहन का पात्र होगा। ऊर्जा शुल्क पर प्रोत्साहन निम्नानुसार होगा:-

(i) अनुबंध मांग के प्रति केवीए प्रति माह 250 किलोवाट और अनुबंध मांग के प्रति केवीए प्रति माह 400 किलोवाट तक ऊर्जा खपत 1.0%

(ii) ऊर्जा की खपत अनुबंध मांग के प्रति केवीए प्रति माह 400 किलोवाटसे अधिक और अनुबंध मांग के प्रति केवीए प्रति माह 550 किलोवाट तक।

(iii)अनुबंध मांग के प्रति केवीए प्रति माह 550 किलोवाट से अधिक ऊर्जा खपत।'

9. ट्रिब्यूनल ने आयोग द्वारा उठाए गए उपर्युक्त दृष्टिकोण से सहमति व्यक्त की और प्रॉमिसरी एस्टॉपेल के सिद्धांत पर आधारित विवाद को न केवल इस आधार पर खारिज कर दिया कि 31 मार्च, 2007 तक योजना को जारी रखने के संबंध में कोई स्पष्ट प्रतिनिधित्व नहीं था, बल्कि इस आधार पर भी कि इस तर्क का समर्थन करने के लिए कोई सामग्री नहीं थी कि अपीलकर्ताओं ने वास्तव में कोई निवेश किया था या अपनी स्थिति को उनके नुकसान के लिए बदल दिया था ताकि वचन विबंधन के सिद्धांत को आकर्षित किया जा सके। उस निष्कर्ष पर पहुंचने में आयोग ने इस न्यायालय के कई निर्णयों पर भी भरोसा किया है जिनका उल्लेख हमने

ऊपर किया है। हम उन निष्कर्षों में से किसी में भी कोई विकृति नहीं देखते हैं और न ही हम इन अपीलों की तथ्यात्मक स्थिति में कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न उठता हुआ देखते हैं। इसलिए, हमें इन अपीलों को गुण-दोष के आधार पर ई. खारिज करने में कोई झिझक नहीं है, हालांकि इन्हें बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 125 के तहत निर्धारित अवधि से परे दायर किया गया है।

10. हम अलग होने से पहले उल्लेख कर सकते हैं कि डीएसआर स्टील लिमिटेड द्वारा दायर 2007 की सिविल अपील संख्या 3814 में, हमारे सामने जो एक सवाल उठाया गया था, वह यह था कि क्या परिसीमा की अवधि आदेश कि घोषणा की तारीख से शुरू होगी या उसके संचार कि तारीख से । छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत बोर्ड बनाम जी. केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग और अन्य में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए (2010) 5 एससीसी 23 प्रतिवादी की ओर से यह तर्क दिया गया था कि जिस तारीख को आदेश सुनाया गया था वह वह तारीख भी होगी जिस दिन उसे सूचित किया गया माना जाएगा।

11. विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 125 यह स्पष्ट करती है कि सीमा की अवधि निर्णय या आदेश के संचार की तारीख से शुरू होती है, न कि इसकी घोषणा की तारीख से। दरअसल, अधिनियम के तहत बनाए गए

नियमों के नियम 94 और 98 एक ओर आदेश की घोषणा के संबंध में सूचना और दूसरी ओर पक्षकारों को सुनाए गए

आदेश की संसूचना के बीच अंतर को स्पष्ट करते हैं । जबकि नियम 94 हमें एक आदेश की घोषणा की सूचना प्रदान करता प्रतीत होता है, यह ऐसे आदेश के 'संचार' के बारे में कोई उल्लेख नहीं करता है जैसा कि अधिनियम की धारा 125 में संदर्भित है। कोर्ट मास्टर द्वारा ट्रिब्यूनल के उप रजिस्ट्रार को आदेश का प्रसारण और पार्टियों को इसका आगे का संचार उक्त नियमों के नियम 98 द्वारा निपटाया जाता है, जिसे अकेले संचार को विद्युत अधिनियम की धारा 125 के प्रयोजनों के लिए संचार के रूप में माना जा सकता है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत बोर्ड के मामले (सुप्रा) में इस न्यायालय के निर्णय पर उस दृष्टि से पुनर्विचार की आवश्यकता हो सकती है यदि यह समझा जाए कि घोषणा की तारीख आदेश के संचार की तारीख भी है। हम, सामान्य तौर पर, उस उद्देश्य के लिए एक बड़ी बेंच का संदर्भ देते, लेकिन इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि हमने अपील को गुण-दोष के आधार पर खारिज कर दिया है, हम ऐसा करना वर्तमान मामले मे अनावश्यक मानते हैं।

12. इसलिए यह प्रश्न भी कि क्या ट्रिब्यूनल द्वारा अपील में पारित आदेश उस आदेश के साथ विलीन हो जाता है जिसके द्वारा ट्रिब्यूनल ने उक्त आदेश की समीक्षा के लिए एक आवेदन को खारिज कर दिया है, हमारे

सामने कुछ विस्तार से तर्क दिया गया था। अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि चूंकि दो अपीलकर्ताओं, जे.के. इंडस्ट्रीज लिमिटेड (अब ज्ञात है जे.के. के रूप में टायर्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड), और जी.

जे.के. लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड द्वारा एक समीक्षा याचिका दायर की गई थी और इस मामले में, ट्रिब्यूनल द्वारा अपील को खारिज किए गए आदेश उक्त समीक्षा में पारित आदेशों के साथ विलय कर दिये गये इसलिए यह केवल समीक्षा को खारिज करने का आदेश है वह आवेदन जो इस न्यायालय के समक्ष अपील योग्य था। यदि ऐसा होता तो परिसीमा अवधि की गणना समीक्षा आवेदनों में पारित आदेश की तारीख से ही की जा एच.सकती थी।

13. किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण के समक्ष दायर समीक्षा याचिकाओं के संबंध ए. में विभिन्न स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। ऐसी स्थितियों में से एक यह हो सकती है कि जहाँ समीक्षा आवेदन की अनुमति दी जाती है, न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा पारित डिक्री या आदेश रद्द कर दिया जाता है और अपील/कार्यवाही जिसमें वह की गई है, फिर से सुनवाई की जाती है और उसी में एक नया डिक्री या आदेश पारित किया जाता है। यह स्पष्ट है कि ऐसी स्थिति में केवल बाद की डिक्री ही अपील योग्य है, इसलिए नहीं कि यह समीक्षाधीन आदेश है, बल्कि इसलिए कि यह एक डिक्री है जो उसी कार्यवाही में पारित पिछली डिक्री को

समीक्षा याचिका पर सुनवाई करने वाले न्यायालय द्वारा रद्द किए जाने के सी. बाद कार्यवाही में पारित की जाती है। दूसरी स्थिति जिसकी कोई कल्पना कर सकता है वह यह है कि एक न्यायालय या न्यायाधिकरण एक समीक्षा याचिका में एक आदेश देता है जिसके द्वारा समीक्षा याचिका की अनुमति दी जाती है और समीक्षा के तहत डिक्री/आदेश को उलट दिया जाता है या संशोधित किया जाता है। ऐसा आदेश तब एक समग्र आदेश डी. होगा जिसके तहत न्यायालय न केवल पहले की डिक्री या आदेश को रद्द कर देता है, बल्कि इसके साथ ही आदेश कर पहले की डिक्री को रद्द कर देता है, एक अन्य डिक्री या आदेश पारित करता है या पहले दी गई डिक्री को संशोधित करता है। इस प्रकार रद्द की गई डिक्री को उलट दिया गया या संशोधित किया गया तो वह डिक्री आगे की अपील, यदि कोई हो, के प्रयोजनों के लिए प्रभावी है, जो कानून के तहत बनाए रखने योग्य है।

14. तीसरी स्थिति जिससे हम तत्काल मामले में चिंतित हैं, वह है जहां ट्रिब्यूनल के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दायर की जाती है लेकिन ट्रिब्यूनल पहले दिए गए डिक्री या आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर देता है। यह सीधे तौर पर समीक्षा याचिका को खारिज कर देना है। ऐसे मामले में डिक्री में न तो कोई उलटफेर होता है और न ही कोई परिवर्तन या संशोधन होता है। यह एक ऐसा आदेश है जिसके द्वारा समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया जाता है जिससे डिक्री या आदेश की पुष्टि हो जाती है। ऐसी आकस्मिक स्थिति में किसी भी विलय का कोई सवाल ही नहीं है

और ट्रिब्यूनल या कोर्ट के डिक्री या आदेश से व्यथित किसी को भी कानून द्वारा निर्धारित समय के भीतर मूल डिक्री को चुनौती देनी होगी, न कि समीक्षा याचिका को खारिज करने वाले आदेश को।

उपयुक्त मामलों में अपील दायर करने में देरी को माफ करते हुए समीक्षा को विचार से बाहर रखा जा सकता है, लेकिन इस तरह के बहिष्कार या माफी का मतलब यह नहीं होगा कि मूल डिक्री और समीक्षा याचिका को खारिज करने वाले आदेश का विलय हो गया है।

15. मनोहर पुत्र शंकर नेल और अन्य बनाम जयपालसिंह पुत्र शिवलालसिंह राजपूत (2008) 1-एससीसी 520, के मामले में इस न्यायालय के निर्णय हमारे विचार में कानूनी स्थिति को सही ढंग से तय करता है। सुशील कुमार सेन बनाम बिहार राज्य (1975) 1 एससीसी 774 और कुन्हायमद और अन्य बनाम केरल राज्य और अन्य (2000) 6 एससीसी 359, मे लिया गया दृश्य जिसमें पूर्व निर्णय का उल्लेख किया गया है, को भी उसी आलोक में समझना होगा।

16. परिणामस्वरूप, हम इन अपीलों को खारिज करते हैं क्योंकि हमारे विचार के लिए कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं उठता है। प्रत्यर्थी प्रत्येक मामले में 20,000/- रुपये की लागत का भी हकदार होगा जो एससीबीए वकील कल्याण कोष में आज से छह सप्ताह के भीतर जमा किया जाएगा।

अपीलें खारिज

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी निलेश सिंह चौधरी (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।